<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा

<u>25 मार्च, 2022</u>

<u>प्रथम जमानत आवेदन सं0 2349 वर्ष 2021</u>

मध्य:

आशीष वशिष्ठ ....प्रार्थी

और

उत्तराखण्ड राज्य। ....उत्तरदाता

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :	विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ सहित सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत सिंह मेहरा, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभर रस्तोगी के ब्रीफ होल्डर
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता :	विद्वान उप महाधिवक्ता श्री टी0 सी0 अग्रवाल सहित सहायक विद्वान श्री रोहित ध्यानी, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर

सहित

<u>प्रथम जमानत आवेदन सं0 2942 वर्ष 2021</u>

मध्य:

शरत पंत ....प्रार्थी

और

उत्तराखण्ड राज्य। ....विपक्षी

सहित

<u>प्रथम जमानत आवेदन सं0 2943 वर्ष 2021</u>

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :	विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत कौशिक
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता :	विद्वान उप महाधिवक्ता श्री टी0 सी0 अग्रवाल सहित सहायक राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री रोहित ध्यानी

<u>माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे0</u>

उपरोक्त तीनों जमानत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–439 के अन्तर्गत मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–539 वर्ष, 2021, धारा–188,269,270,420,467,468,471,120बी भारतीय दण्ड संहिता धारा–3 महामारी रोग अधिनियम, 1897 तथा धारा–53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 थाना कोतवाली नगर हरिद्वार जिला हरिद्वार में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता डा0 शम्भू कुमार झा, मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 17.06.2021 को इस आरोप के साथ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की कि एक व्यक्ति द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (संक्षिप्त में आई.सी.एम.आर) में एक शिकायत की गई थी कि उनके आधार कार्ड नम्बर और मोबाइल नम्बर का उपयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए किया गया था लेकिन उनके द्वारा कोई नमूना नहीं दिया गया था। उक्त शिकायत आई.सी.एम.आर द्वारा उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग को दिनांक 14.05.2021 को वापस भेज दी गई थी। जांच के दौरान इस आशय के साक्ष्य मिले है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए नमूना संग्रह केन्द्र का नाम ''मैसर्स मैक्स कॉरपोरेट सर्विस कुंभ मेला'' दर्शित है और नमूने का परीक्षण ''नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड'' हिसार द्वारा किया गया था। श्री शरत पन्त एवं उनकी पत्नी श्रीमती मल्लिका पन्त (अभियुक्तगण) ''मैसर्स मैक्स कॉपोरेट सर्विसेज'' में पार्टनर

थे। उपरोक्त व्यक्ति अर्थात् श्री शरत पन्त और श्रीमती मल्लिका पन्त द्वारा ''नलवा लैब'', हिसार और ''डा0 लालचंदानी लैब'' दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन इस कथन के साथ निष्पादित किया कि उनकी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है। प्रार्थी अभियुक्त श्री शरत पन्त द्वारा दिनांक 11.01.2021 को एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ''डा0 लालचंदानी लैब्स'', और ''नलवा लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड'' उनकी कम्पनी है और कुम्भ मेला अधिकारी को गुमराह कर सरकार से कोविड–19 की जांच का ठेका हासिल कर लिया, जबकि आई.सी.एम.आर के दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी फर्म को कोविड–19 की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था क्योंकि उनकी फर्म में परीक्षण प्रयोगशाला की कमी थी। प्रार्थी–अभियुक्त आशीष वशिष्ठ भिवानी, हरियाणा में पैथोलॉजी लैब, ''डेल्फिया'' के निदेशक थे। प्रार्थीगण द्वारा आई. सी.एम.आर के वेब पोर्टल पर कूटरचित परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर अपलोड की गयी तथा लगभग मूल्य 4 करोड़ रूपये के बिल प्रस्तुत किये गये जिसमें से मु0 15,41,670/– रूपये का विथड्रॉल उनके द्वारा किया गया।

3. प्रार्थी आशीष वशिष्ठ की ओर से विद्वान वरिष्ठ सहित सहायक हेमन्त सिंह मेहरा, प्रार्थीगण शरत पंत और श्रीमती मल्लिका पन्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत कौशिक, तथा राज्य की ओर से विद्वान उप महाधिवक्ता श्री टी.सी. अग्रवाल सहित विद्वान रोहित ध्यानी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

4. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439, जमानत के संबंध में बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। किन्तु जमानत प्रदान करते समय, उच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों के समान विचारों द्वारा निर्देशित होता है। अर्थात अपराध की गुरूत्वाकर्षण, साक्ष्य की प्रकृति तथा अन्य समान आधारो को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

5. समाज महत्वपूर्ण रूप से जमानत स्वीकार या अस्वीकार होने पर रूचिबद्ध रहता है क्योंकि, दाण्डिक अपराध समाज के विरूद्ध अपराध है। दूसरी ओर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत

मूल्यवान मौलिक अधिकार है और इसे केवल तभी कम किया जाना चाहिए जब यह मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य हो जाए। अतः न्यायालय को कई कारको को संतुलित करना चाहिये जिसमें प्रार्थी (अभियुक्त) के हित के साथ–साथ बड़े पैमाने पर समाज के हित को संतुलित करना सम्मिलित है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कल्याण चंदन सरकार बनाम राजेश रंजन, (2004) 7 एस0सी0सी0 528** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में विधि सुस्थापित है। जमानत प्रदान करने वाले न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग न्याय संगत रूप से करना चाहिए न कि स्वभाविक रूप से। यद्यपि जमानत देने के स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत प्रलेखन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध लगाने का आरोप लगाया हो वहां विशेष रूप से जमानत प्रदान करने के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष आदेश में इंगित किये जाने आवश्यक हैं, कारणों से रहित कोई भी ओदश मस्तिष्क का प्रयोग न करने से प्रभावित होगा।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ यूपी बनाम अमरमणि त्रिपाठी, (2005) 8 एस0सी0सी0 21** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत हेतु निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाना सु–स्थापित है–

(i) क्या अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने के प्रथम दृष्टया या युक्ति युक्त आधार विद्यमान है;

(ii) आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की कठोरता;

(iv) जमानत पर रिहा होने की स्थिति में अभियुक्त के फरार होने या भाग जाने की आशंका;

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन पद व स्थिति;

(vi) अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना;

(vii) साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का युक्तियुक्त संदेह;

(viii) जमानत प्रदान किये जाने से न्याय की हानि होने की आशंका;

ऐसे आदेशो में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारण इंगित किये करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है विशेष रूप स जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। इस तरह के कारणो से रहित कोई भी आदेश बौद्धिक प्रयोज्यता से पीड़ित होगा।

8. अतः जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय प्रथम दृष्टया आधार दर्शित किये जाने आवश्यक हैं, विशेष रूप से अभियुक्त पर गंभीर अपराध कारित करने का आरोप लगाया है। यदि कोई आदेश उपरोक्त आधार से रहित है तो ऐसे आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राम गोविन्द उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य (2002) 3 एस0सी0सी0 598** में अभिनिर्णित मस्तिष्क के प्रयोग न करने से प्रभावित होगा।

9. प्रार्थी आशीष वशिष्ठ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंरविंद वशिष्ठ द्वारा कथन किया कि प्रार्थी आशीष वशिष्ठ भिवानी, हरियाणा में पैथोलॉजी लैब ''डेल्फिया'' के निदेशक थे। बॉम्बे की इनवेक्स कंपनी द्वारा महाकुंभ मेले के दौरान रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा के लिए प्रार्थी को नियुक्त किया गया। वह ''मैक्स कॉपोरेट सर्विसेज'' से जुड़ा था, जिनके पास कुंभ मेले में कोविड–19 टेस्ट का टेंडर था। प्रार्थी ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए ''इनवेक्स'' और ''मैक्स कॉपोरेट सर्विसेज'' को श्रमशक्ति प्रदान की थी। प्रार्थी आशीष वशिष्ठ और राज्य प्रशासन के मध्य कोई अनुबंध नहीं था। प्रार्थी ने कभी कोई बिल नहीं बनाया। उन्हें सरकार या ''मैक्स कॉपोरेट सर्विसेज'' से कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुयी। उनके द्वारा आई0सी0एम0आर0 के वेब–पोर्टल पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के संबंध में कोई कुटरचित रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई थी। उन्हे इस प्रकरण में फंसाया गया है और वह दिनांक 22.07.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

10. प्रार्थीगण (श्री शरत पंत और श्रीमती मल्लिका पंत) के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत कौशिक द्वारा कथन किया कि प्रार्थीगण एक पंजीकृत फर्म ''मैक्स कॉपोरेट सर्विसेज'' के भागीदार थे। राज्य सरकार ने दिनांक 31.12.2020 को कुम्भ मेंले मे कोविड परीक्षण कराने के लिए इच्छुक पक्षो से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित की थी। प्राधिकरण के प्रमाण पत्र ''नलवा लैब प्राइवेट लि0 हरियाणा एवं ''डॉ लालचंदानी लैब लिमिटेड'', नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये थे। उक्त दोनों लैब ने उपरोक्त प्रार्थीगण की फर्म को अपनी ओर से कोविड–19 रैपिड एंटीजन टेस्ट और रैपिड आरटी–पीसीआर टेस्ट में भाग लेने के लिए अधिकृत किया। इसलिए प्रार्थीगण की फर्म ने महाकुंभ मेले में परीक्षण के लिए अपने प्राधिकरण के लिए ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्तुत किया, जिसे कुम्भ मेला अधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त प्रार्थीगण की फर्म ने दिनांक 10.03.2021 को ''नलवा लैब प्राइवेट लि0 हरियाणा'' एवं ''डॉ लालचंदानी लैब लिमिटेड'' के साथ एक कार्सोटियम समझौता निष्पादित किया। इन दोनो लैब ने रैपिड एंटीजन टैस्ट और आरटी–पीसीआर टेस्ट का काम किया। परीक्षण संबधी समस्त तकनीकी कार्य ''नलवा लैब प्राइवेट लि0 हरियाणा'' द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने प्रार्थीगण की फर्म को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए अधिकृत किया, जिसमें संबंधित लैब के माध्यम से वास्तिवक नमूना संग्रह परीक्षण और डेटा फीड करना शामिल है। उक्त सभी संग्रह अभ्यास स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ–साथ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किये गए थे। वास्तविक कार्य ''नलवा लैब प्राइवेट लि0 हरियाणा'' द्वारा किया गया था और परीक्षण करने के पश्चात ''नलवा लैब प्राइवेट लि0 हरियाणा'' ने बिलों के साथ परीक्षणों के डेटा को ''इनवेक्स हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड'' को अग्रसारित किया। ''इनवेक्स हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड'' द्वारा बिलों को उठाया गया और प्रार्थीगण की फर्म ने भुगतान के लिए केवल राज्य के अधिकारियों को बिल जमा किए। प्रार्थीगण की फर्म डेटा के परीक्षण और फीडिंग में कभी शामिल नहीं हुई थी। उनकी फर्म सरकार और उक्त दो प्रयोगशालाओं के मध्य एक समन्वयक थी। प्रार्थीगण ने जांच के दौरान जांच एंजेसी के साथ सहयोग किया। प्रार्थीगण

के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला भी नहीं बनता है। प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है और वे 08.11.2021 से न्यायिक हिरासत में है।

11. इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री टी.सी. अग्रवाल ने प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कथन किया कि जांच के दौरान तीनो प्रार्थीगण अभियुक्तगणों के इस आशय के साक्ष्य मिले हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा कूटरचित परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी थी। प्रार्थी शरत पंत ने राज्य के संबधित अधिकारी के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कथन किया गया था कि डॉ0 लालचंदनी और नलवा प्रयोगशाला की प्रयोगशाला उनकी है, जबकि प्रार्थीगण के पास परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त परीक्षण के लिए अनधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त किया। उन्होने परीक्षण के कूटरचित बिल जमा किए। उन्होंने लगभग 4 करोड़ रूपये का सरकारी धन हड़पने का प्रयास किया जिसमे से उन्होंने 15,41,670/– रूपये निकाल लिए थे। उक्त राशि प्रार्थी अभियुक्तगण श्री शरत पंत व श्रीमती मल्लिका पन्त को फर्म ''मैक्स कॉपोरेट सर्विसेज'' के खाते में जमा की गई थी। प्रार्थी आशीष वशिष्ठ की निशानदेही पर दो कूटरचित रजिस्टर और एक लैपटॉप बरामद किए गया। प्रार्थी शरत पंत और श्रीमती मल्लिका पंत ने आई.सी.एम.आर के वेबपोर्टल पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की कूटरचित रिपोर्ट उनकी फर्म मैक्स कॉपोरेट सर्विसेज की आईडी से अपलोड की।

12. राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री टी.सी. अग्रवाल ने यह भी कथन किया कि जांच के दौरान अन्वेषणकर्ता ने दं0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत 19 से अधिक स्वतन्त्र साक्षियों के बयान दर्ज किये तथा सभी ने इस अपराध में प्रार्थीगण की भूमिका का खुलासा किया। अभिलेख पर इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि पुलिस की प्रार्थीगण से कोई दुश्मनी थी। इसलिए प्रार्थीगण को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है, बल्कि जांच अधिकारी द्व ारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों से उनकी संल्पितता पूरी तरह से स्थापित है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सरकार कोविड–19

की गंभीर स्थिति में लोगो की जान बचाने में लगी हुई थी, जबकि ये तीनों प्रार्थीगण–अभियुक्तगण व्यक्ति उन परिस्थतियों का अवैध रूप से लाभ उठाने में लगे हुए थे।

13. **अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी) दिल्ली और अन्य, 2018 (1) सीएससी 117** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का एक अनुपात निर्णय यह है कि गंभीर अपराधों में, मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त एक वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए एक प्रासंगिक विचार नहीं हो सकता है।

14. इस स्तर पर साक्ष्यों पर गहराई से चर्चा करना अनुचित होगा। इस स्तर पर, साक्ष्य की विस्तृत समीक्षा परीक्षण को प्रभावित करेगी। किन्तु अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्य के अवलोकन से, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त व्यक्ति इस अपराध में सम्मिलित थे। प्रार्थीगण को फंसाने का कोई कारण नहीं पाया गया है।

15. अतः प्रार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन में कोई बल नहीं है और न ही इस स्तर पर प्रार्थीगण को जमानत प्रदान करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार है। जमानत याचिकाएं तद्नुसार अस्वीकार किये जाने योग्य है। जमानत आवेदन खारिज किये जाते हैं।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में की गई टिप्पणियां इन जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय तक सीमित हैं, इस स्तर पर पक्षकारगण द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के आलोक में, जमानत प्रार्थना पत्र की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। उक्त टिप्पणियां मामले के परीक्षण को प्रभावित नहीं करेंगी।

आलोक कुमार वर्मा, जे.

दिनांकः 25 मार्च, 2022
जेकेजे/नेहा